गीता देवी — भू०प्र० मु०नं० 243/15

दिनांक	आज्ञा पत्र	
26-7-17	पत्रावली प्रस्तुत [illegible] उपस्थित पीठासीन अधिकारी [illegible] 2-45 pm पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार [illegible] 13-9-17 को पेश हो।	
27-3-18	पत्रावली प्रस्तुत [illegible] न्यायालय [illegible] स्थगित [illegible] आज्ञानुसार दिनांक 7-5-18 को पेश हो।	
7-5-18	वकुलादि फरीकान उपस्थित। रिस्पोंडेंट के नोटिस बाद मोद्दा [illegible] पर जारी हो। तहत [illegible] है। [illegible] दिनांक 6-8-18 को [illegible] है। तब तक कुर्की प्रचलित स्थगित [illegible] रहेगा।	
28/6/18	पत्रावली अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर तलब की गई। अपीलांट ने [illegible] पेश कर निवेदन किया अपीलांट अपील को आगे नहीं चलाना चाहता। अपीलांट के निवेदन पर यह अपील नहीं चलाने पर खारिज की जाती है पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official